न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
037/2017 (GCMS 2017/00129)	17.11.2017	29.01.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. संदीप तारावत पुत्र बसंतीलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स संदीप ट्रेडर्स 80, राणा सांगा मार्केट चित्तौड़गढ़ निवासी ढुंचा बाजार चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
2. मैसर्स संदीप ट्रेडर्स 80, राणा सांगा मार्केट चित्तौड़गढ़
3. आलोक खण्डेलवाल पुत्र रामावतार खण्डेलवाल
   M/S Tanmay Enterprises, Triveni Vihar Colony Near Triveni Garden Shahpura, Dist. Jaipur- (Raj.) Pin No 303104
   निवासी **Triveni Vihar Colony Near Triveni Garden Shahpura, Dist. Jaipur- (Raj.) Pin No 303104 Mob No. 9828159728**
4. **M/S Tanmay Enterprises, Triveni Vihar Colony Near Triveni Garden Shahpura, Dist. Jaipur- (Raj.) Pin No 303104**

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 29.08.2016 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.08.2016 को समय 2:10 पीएम संदीप ट्रेडर्स 80, राणा सांगा मार्केट चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। वहां संदीप तारावत पुत्र बसंतीलाल उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ घी (डेयरी फ्रेश) व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्य खाद्य पदार्थ तेल आदि आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुतकरने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान श्री मनोहरलाल एवं श्री जीवनसिंह सोलंकी की उपस्थिति में मैंने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया, एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता व गवाहन की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 12 सील्ड कार्टुन घी(डेयरी फ्रेश) (प्रत्येक कार्टुन में कुल 1-1 लीटर के 16 पॉलीपैक पेकेट) विक्रय हेतु रखा पाया गया। उक्त में से 1 काटूर्न को खुलवाकार 1 सील्ड पोलीपैक पैकेट घी (डेयरी फ्रेश) को ध्यान से देखने पर उस पर घी (डेयरी फ्रेश) बैच नंबर 0038, नेट वेट 1 लीटर, एमआरपी 360/- रूपये, **Date Of PKG**-जून 2016, **Best Before 9 Months from PKG, MFG & PKD By- Shree Anu Milk Products Ltd. G-1/48-49, Badarna, V.K.I.A., Jaipur Rajasthan- 302013** आदि अंकित पाया गया। विक्रेता के पास उक्त घी (डेयरी फ्रेश) का खरीद इन्वोईस नम्बर 673 दिनांक 08.07.2016 **Tanmay Enterprises, Jaipur** पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एसएसएसए एक्ट, 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहन की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देखकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 1 काटूर्न को खुलवाकार 4 सील्ड पोलीपैक 1-1 लीटर के वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपयें 1240/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदाशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर-बराबर भागों में बांटकर चार प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयरटाइट बंद किया। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग में लेबल चिपकाए। लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैंने गवाहन व व्यापारी ने हस्ताक्षर किए थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-723** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोंद से चिपकाए एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सिरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहन के हस्ताक्षर कराकर कराकर नमूने का पूरा [illegible] लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने [illegible] लिया। विक्रेता को उक्त नमूना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक भाग (चौथा भाग) को एक एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग में फार्म नंबर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नंबर 6 की अलग से सिल्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म संख्या 6 की अलग से सील्ड लिफाफ में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबंद नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबंद कर नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2016/5116** दिनांक 10.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जांच क्रय किया गया था जो कि अनसेफ होना पाया गया है। विक्रेता द्वारा रेफरल लेब से दुबार जांच हेतु आवेदन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2017/475** दिनांक 03.02.2017 द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जांच क्रय किया गया था जो कि रेफरल लेब जांच रिपोर्ट में सबस्टेन्डर्ड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त फर्म मैसर्स संदीप ट्रेडर्स के संविधान के संबंध में द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से जानकारी चाही गई जो संलग्न है जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है व साथ ही वाणिज्यक कर विभाग द्वारा जारी प्रतिउत्तर की प्रति भी संलग्न है। मैसर्स **Tanmay Enterprises, Jaipur** को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म 5ए की प्रति प्रेषित की गई थी उक्त पत्र की कार्यालय पत्र न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स **Tanmay Enterprises, Jaipur** से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रजिस्डर्ड पत्रांक 1298 दिनांक 30.03.2017 के द्वारा उनकी फर्म के संविधान, नोमिनी, उक्त नमूने के खरीद बिल के संबंध में सूचना चाही गई थी। प्राप्त प्रति उत्तर में मैसर्स **Tanmay Enterprises, Jaipur** द्वारा बताया गया कि उनके पास उक्त घी(डियरी फ्रेश) का खरीद बिल उपलब्ध नहीं [illegible] की कार्यालय प्रति मय मूल पोस्टल रसीदों के व प्राप्त मूल प्रतिउत्तर न्याय निर्णयन आवेदन के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

असल प्रति मय मूल पोस्टल रसीदों के व प्राप्त मूल प्रतिउत्तर न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज क्रमांक/**FSSA/2016/5116** दिनांक 10.11.2016 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2017/22824** दिनांक 29.06.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ अलग है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने सब स्टेन्डर्ड घी(डेयरी फ्रेश) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है, अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 18.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक की और से अधिवक्ता बीएल पोखरना हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 16.03.2018 को अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश किया अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया कि विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 एक ही हैं क्योंकि, विपक्षी संख्या 1 ही विपक्षी संख्या 2 के नाम करता है। विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 के नाम से होने वाला व्यवसाय का प्रोपराइटर है। अलग–अलग विपक्षी संख्या 1 एवं 2 गलत बनाया गया है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 एक ही है, इसी भांति विपक्षी संख्या 3 भी विपक्षी संख्या 4 के नाम से होने वाले व्यवसाय का प्रोपराइटर है। अलग–अलग विपक्षी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 4 गलत बनाया गया है। विपक्षी संख्या 3 एवं 4 एक ही है। विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 का प्रोपराइटर है ने विपक्षी संख्या 3 जो कि विपक्षी संख्या 4 है से सीड पोलिपैक डेयरी फ्रेश जरिए बिल कैश मेमो के खरीद किया जिसमें विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जिस हालत में माल खरीदा उसी हालात में सील्ड पोलिपैक का नमूना खाद्य सुरक्षा धिकारी ने लिया है। बिल वारंटी होता है इसलिए विपक्षी संख्या 1 ने जो विपक्षी संख्या 2 के नाम से व्यवसाय करता है, किसी भांति अपराधी नहीं है। उसने माल घी को सही मानक का होना जानते हुए भी बिल से सील्ड पोलिपैक खरीदा है एवं वह खाद्य लाइसेंसी है, इस कारण विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का किसी भांति कोई अपराध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध कार्रवाई ड्रॉप किए जाने योग्य है। इस मामले में दो एक्सपर्ट विशेषज्ञ कि खाद्य पदार्थो के नमूने की रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष है दोनों रिपोर्टों में मौलिक अंतर है, एक विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट में नमूने को अमानक होना बता रहे हैं, दूसरा विशेषज्ञ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसे अनसेफ होना नहीं मानकर निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होना मान रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न उच्च न्यायालयों का राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में विपक्षी संख्या 3,4 को भी किसी अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता है एवं संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किए होने योग्य है। किसी भी विपक्षी पर कोई अपराध नहीं बनता है। मामला ड्रॉप हो खारिज होने योग्य है। नमूना लेने वाले के कार्यक्षेत्र, लैब एवं टेस्ट का प्रोसीजर विधि अनुसार डिफाइन्ड एण्ड नोटिफाईड नहीं है। इस कारण प्रकरण विपक्षीगण के विरुद्ध खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि इसी पर विपक्षीगण के उक्त प्रत्युत्तर एवं रिप्रजन्टेशन के प्रकाश में मामला खारीज फरमाया जावें।

दिनांक 27.01.2021 को विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस के निवेदन पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा की गई बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 का प्रोपराइटर है ने विपक्षी संख्या 3 जो कि विपक्षी संख्या 4 है से सीड पोलिपैक डेयरी फ्रेश जरिए बिल कैश मेमो के खरीद किया जिसमें विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जिस हालत में माल खरीदा उसी हालात में सील्ड पोलिपैक का नमूना खाद्य सुरक्षा धिकारी ने लिया है। बिल वारंटी होता है इसलिए विपक्षी संख्या 1 ने जो विपक्षी संख्या 2 के नाम से व्यवसाय करता है, किसी भांति अपराधी नहीं है। उसने माल घी को सही मानक का होना जानते हुए भी बिल से सील्ड पोलिपैक खरीदा है एवं वह खाद्य लाइसेंसी है, इस कारण विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का किसी भांति कोई अपराध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध कार्रवाई ड्रॉप किए जाने योग्य है। इस मामले में दो एक्सपर्ट विशेषज्ञ कि खाद्य पदार्थो के नमूने की रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष है दोनों रिपोर्ट्स में मौलिक अंतर है, एक विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट में नमूने को अनसेफ होना बता रहे हैं, दूसरा विशेषज्ञ उसे अनसेफ होना नहीं मानकर निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होना मान रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न उच्च न्यायालयों का राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में विपक्षी संख्या 3,4 को भी किसी अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता है एवं संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किए होने योग्य है।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टांतो का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप चस्पांगी नहीं होना जाहिर होता है। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत मैसर्स **Tanmay Enterprises, Jaipur** का **VAT INVOICE, Invoice No. 673, Dated 08-07-2016** का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 496/Act/2016/520** दिनांक 29.09.2016 एवं निदेशक, **Referral Food Laboratory, PUNE** द्वारा जारी प्रमाण प[illegible]**396/16/50/2017** दिनांक 17.01.2017 का अवलोकन किया। निदेशक **Referral Food Laboratory, PUNE**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (डेयरी फ्रेश) सब–स्टेन्डर्ड होना पाया गया है। हमने निदेशक, **Referral Food Laboratory, PUNE** की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खनिदेशक, **Referral Food Laboratory, PUNE** रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT --

Sample description:- Sample received in company sealed, labeled tetra pack.

(ii) Physical appearance - White semi solid, yellowish liquid on melting.

(iii) Label :- DAIRY FRESH GHEE-

Ingredient, Nutritional Information, Green vegetarıan symbol printed.

Net quantity 1 litre, B.No.0038, Dt. of pkg. JUN 16, Best before nine Months from packaging. Mfd.by: Shree Anu Milik P1oducts Ltd., G-1/48-49,Badarna,V .K.I.A. Jaipur,(Raj)-302013

Fssai license No. 10014013000696

Opinion - I am of the opinion that, the above sample bearing number AM-723 does not conform to the standards of Ghee as per Regulation No. 2.1.10 (2) of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation 2011 on the basis of tests performed and is substandard as per Section No. 3.1 (zx) of the Food Safety & Standards Act 2006.

निदेशक, **Referral Food Laboratory, PUNE** की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी(डेयरी फ्रेश) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थीगणों द्वारा ने उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ मैसर्स **Shree Anu Milik P1oducts Ltd., G-1/48-49,Badarna,V .K.I.A. Jaipur,(Raj)-302013** द्वारा क्रय किया था, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने सब स्टेन्डर्ड घी(डेयरी फ्रेश) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 संदीप तारावत पुत्र बसंतीलाल निवासी ढुंचा बाजार चित्तौड़गढ़ तहसील [illegible]गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 3 आलोक खण्डेलवाल पुत्र रा[illegible] खण्डेलवाल निवासी **Triveni**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Vihar Colony Near Triveni Garden Shahpura, Dist. Jaipur- (Raj.) Pin No 303104 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51–52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 संदीप तारावत पुत्र बसंतीलाल निवासी ढुंचा बाजार चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अभियुक्त संख्या 3 आलोक खण्डेलवाल पुत्र रामावतार खण्डेलवाल निवासी **Triveni Vihar Colony Near Triveni Garden Shahpura, Dist. Jaipur- (Raj.) Pin No 303104** को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त संख्या 1 संदीप तारावत पुत्र बसंतीलाल निवासी ढुंचा बाजार चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को 15000/– अक्षरे

Signature Not Verified.
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पन्द्रह हजार रूपये एवं अभियुक्त संख्या 3 को आलोक खण्डेलवाल पुत्र रामावतार खण्डेलवाल निवासी **Triveni Vihar Colony Near Triveni Garden Shahpura, Dist. Jaipur- (Raj.) Pin No 303104** को 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये, अभियुक्त संख्या 1 व 3 को कुल 40000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:19 IST
Reason: SelfAttested